समाहरणालय, अरवल

(जिला योजना कार्यालय)

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0, अरवल श्री महानंद सिंह से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कोविड–19 महामारी के प्रसार की रोकथाम एवं चिकित्सा से संबंधित सामग्री एवं उपकरण के क्रय हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार अधिकृत उत्पादकों/विक्रेताओं व आपूर्तिकर्ताओं से मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 02.06.2021 के अपराह्न 02:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, अरवल में प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन उप विकास आयुक्त, अरवल के कार्यालय कक्ष में 04:00 बजे अपराह्न जिला निविदा/क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

List of Items:

Medical Equipments

Sl.No.	Name of Items	Quantity
01	Oxygen Cylinder D Type	40
02	Oxygen Cylinder B Type	60
03	Oxygen Concentrator 10L	20
04	Oxygen Concentrator 5L	20
05	Oxygen Face Mask Rebreather	50
06	Oxygen Face Mask	100
07	Oxygen Flowmeter	100
08	Vaporiser	10
09	Nabuliser	10
10	Sanitizer 100ml	1000

➢ तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है:–
   (i) अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी, अरवल के पदनाम से निर्गत 100000.00 (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट।
   (ii) निविदादाता अधिकृत उत्पादक/एजेंसी व आपूर्तिकर्ता को संस्था का परिचय, फर्म का नाम, कार्यालय का पूर्ण पता, पिन कोड देना अनिवार्य होगा।
   (iii) निविदादाता को GST से निबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि तथा 03 (तीन) वर्षो का GST रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (iv) निविदादाता को लगातार विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की प्रति एवं पैन कार्ड नम्बर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   (v) निविदादाता का टर्न ओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 50 (पचास) लाख रूपये का होना अनिवार्य है। (सत्यापन के लिए चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिटेड प्रॉफिट एण्ड लॉस तथा बैलेन्स शीट संलग्न करें)
   (vi) निविदा में भाग लेने वाले निर्माता व अधिकृत एजेंसी व आपूर्तिकर्ता के पास फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
   (vii) संस्था का किसी फौजदारी अथवा दीवानी मामले में मुकदमा लंबित नहीं होने एवं किसी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं रखने का शपथ पत्र ।
   (viii) निविदा में चिकित्सा से संबंधित सामग्री एवं उपकरण से संबंधित वैसे निर्माता व अधिकृत एजेंसी व आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने विगत वर्ष में कम से कम 01 (एक) करोड़ रूपये की आपूर्ति किया हो।

➢ वित्तीय निविदा की शर्तेः–

2- वित्तीय निविदा निम्न प्रकार से विहित–प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा का प्रपत्र

क्र. सं.	सामग्री का नाम	कम्पनी/मॉडल का नाम	सामग्री की विशिष्टियां	मात्रा	दर	कुल राशि (सभी कर सहित)

➢ अन्य शर्तेः–

3. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड/मुहर बंद लिफाफे में ही स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. तकनीकी निविदा शर्त अनुरूप मान्य होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताये निविदा स्थगित/रद्द करने का अधिकार या एक से अधिक निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश वितरित करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. निविदादाता एकल या संपूर्ण उपकरणों के लिए निविदा में भाग ले सकता है।
7. चयनित एजेंसी उस स्थान पर सामग्री की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा, जहां जिला प्रशासन अरवल जिले में आपूर्ति करने के लिए कहेगा।
8. निविदा प्रारूप में उल्लिखित मात्रा प्रकृति में सांकेतिक है और दर स्वीकृति के पश्चात बढ़ाई/घटाई जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी आवश्यकतानुसार स्वीकृत निर्धारित दर पर किसी भी प्रतिष्ठान से सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।
9. सफल निविदादाता जिला प्रशासन, अरवल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आदेश देने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर सभी सामग्रियों/उपकरणों की आपूर्ति करने की स्थिति में होगा। समय–सीमा के अंदर एवं निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म/प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज करते हुये जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. उपरोक्त उपकरण मदों की तकनीकी मानकों एवं विशिष्टियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
11. चयनित एजेंन्सी को सामग्रियों के आपूर्ति की गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् प्राप्त आवंटन के विरूद्ध नियमानुकूल भुगतान किया जायेगा।
12. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के विपत्र पारित करते समय स्रोत पर नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
13. क्रय/अधिष्ठापित किये गये उपकरण एवं चिकित्सा सुविधाओं की वारंटी/गारंटी अवधि में आवश्यकतानुसार निःशुल्क मरम्मति करनी होगी।
14. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अरवल होगा।
15. निविदादाता स्वंय या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।
16. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा।
17. यह निविदा दर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं सांसद स्थानीय विकास क्षेत्र योजना में अनुशंसित उपरोक्त उपकरण मदों में, निर्धारण की तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

22/5/2021

जिला पदाधिकारी
अरवल।